

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट),  
लखीमपुर-खीरी।

**जमानत प्रार्थना पत्र सं०-680 / 2026**

सी०एन०आर० सं०-यू०पी०एल०पी० 01 001269 2026

सरकार

बनाम

राजेन्द्र

**09.03.2026**

अभियुक्त राजेन्द्र की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०-1789 / 2022, अं०धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना एन्टी पावर थेफ्ट, जिला खीरी प्रस्तुत किया गया।

सुना। दौरान सुनवाई अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर नॉट प्रेस का अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र को बल अभाव में खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः अभियुक्त राजेन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र बल अभाव में खारिज किया जाता है।

( रेनू सिंह )

अपर सत्र न्यायाधीश /  
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)

लखीमपुर-खीरी।

जे०ओ० कोड नं०-6470

दिनांक: 09.03.2026